बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

पत्रांक - 157 (बा०) पटना, दिनांक - 25/5/09

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय – अग्निकांड जैसे आपदा के उपरांत राहत वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 948/आ०प्र० दिनांक 11.04.2008 द्वारा पूर्व में विस्तृत निदेश निर्गत किया जा चुका है। उपरोक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अग्निकांड के पश्चात् दी जानी वाली सहायता उसी प्रकार दी जाएगी जिस प्रकार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात क्षति/जीवन/ अंग/फसल/सम्पति आदि के मदों में हानि पर दी जाती है। तदनुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बाढ़ राहत के समान ही अग्निकांड जैसे आपदा में भी समरुप राहत यथा एक क्विंटल अनाज तथा 2250/– रुपये नकद (1000/– रु० बर्तन, 1000/– रु० वस्त्र एवं 250/– विविध व्यय) पीड़ितों को तत्क्षण मुहैया कराया जाना है।

कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा अग्निकांडों के उपरांत पीड़ितों को राहत मुहैया कराने के संबंध में सरकार के पत्रांक 2462, दिनांक 12.08.2008 की कंडिका (5) के संदर्भ में मार्गदर्शन की मांग की गई है। इस विरोधाभास के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.10.2008 को सम्पन्न सी०आर०एफ० की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार इस कंडिका को विलोपित समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 157 (बा०) पटना, दिनांक – 25/5/09

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-